प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्याः **193/2025** (अपील सूचना का अधिकार)</u>

Arun Depura Add: 15, Babel street, Rao ji ka Hata, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329241216095869 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6950521074 दिनांक 01.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/193/25/1209–10 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/2025/1841 दिनांक 23.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदित किये गये आवेदन पत्र अनुसार आवेदक को नियत समय में कार्यालय हाजा से संबंधित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अब कोई भी सूचना उपलबध करवाया जाना इस कार्यालय स्तर पर शेष नहीं है। अतः प्रथम अपील को ख़ारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर स्वीकार किया गया है कि वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं अपीलार्थी द्वारा भी स्वयं उपस्थित होकर सूचना प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर